

**अनुदान संख्या 58 - विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग**  
**GRANT No. 58 – DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original 60088,58,00	60158,65,00	59149,56,52	-1009,08,48
पूरक	Supplementary 70,07,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			966,31,83

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹100908.48 लाख) अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹7007.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (₹100908.48 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹7007.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
<b>शीर्ष</b>	<b>Head</b>			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O. 4561809.00	4785313.37	4781254.18	-4059.19
पू.	S. 7003.00			
पु.	R. 216501.37			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O. 370220.00	82.44	..	-82.44
पू.	S. 3.00			
पु.	R. -370140.56			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 1051021.00	1110814.22	1110679.48	- 134.74
पू.	S. 1.00			
पु.	R. 59792.22			

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत -
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"	
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	Grants-in-aid to Union	
को सहायता अनुदान	Territory Governments	
मू.	O.	12174.00
पु.	R.	-2753.42

9420.58	9420.57	- 0.01
---------	---------	--------

(I) ₹378821.16 लाख का प्रावधान (₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सतासी शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹377814.86 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹378821.16 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs) remained wholly unutilised under eighty seven heads; of these ₹377814.86 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" -

(A) Major Head "2202"-

(क) "प्रारंभिक शिक्षा" -

(a) "Elementary Education" -

(i) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम" - ₹150.00 लाख स्कीम के प्रमुख रूप से अल्पसंख्यकों के लिए होने और एससीएसपी/टीएसपी के अंतर्गत कोई द्विविभाजन न होने के कारण थे ।

(i) "Special Component Plan for Scheduled Castes - The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)" - ₹150.00 lakhs - due to scheme being primarily for minorities and there is no bifurcation under SCSP/TSP.

(ii) "अन्य व्यय - मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम" - ₹525.00 लाख बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे ।

(ii) "Other Expenditure - The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)" - ₹525.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Union Territories without Legislature.

(ख) "माध्यमिक शिक्षा" -

(b) "Secondary Education" -

(i) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" -

(i) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(1) "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान" - ₹279.00 लाख

(1) "Information and Communication Technology in Schools - Grants to

स्वैच्छिक संगठनों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

- (2) “विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - ई-घटक के विकास के लिए अनुदान” - ₹660.00 लाख; और

(ii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” -

- (1) “विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - ई-घटक के विकास के लिए अनुदान” - ₹352.40 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम का कार्यान्वयन न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (2) “विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान” - ₹136.96 लाख; और

(iii) “अन्य व्यय” -

- (1) “माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम” - ₹246.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्वैच्छिक संगठनों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (2) “माध्यमिक विद्यालय में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा - संस्थाओं आदि को अनुदान” - ₹277.00 लाख संघ राज्य क्षेत्रों और संस्थाओं से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” -

Voluntary Organisations”- ₹279.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from Voluntary Organisations.

- (2) “Information and Communication Technology in Schools - Grants for development of e-content”- ₹660.00 lakhs; and

(ii) “Tribal Area Sub-Plan”-

- (1) “Information and Communication Technology in Schools - Grants for development of e-content”- ₹352.40 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-implementation of the scheme.

- (2) “Information and Communication Technology in Schools- Grants to Voluntary Organisations” - ₹136.96 lakhs; and

(iii) “Other Expenditure”-

- (1) “Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools”- ₹246.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from Voluntary Organisations/Union Territories.

- (2) “Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS) - Grants to Institutes etc.” - ₹277.00 lakhs - due to receipt of less number of proposals from Union Territories and Institutions.

(B) Major Head “2552” -

- (क) “माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण - विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी” - ₹3465.00 लाख;
- (ख) “माध्यमिक शिक्षा - गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता” -
- (i) “केन्द्रीय विद्यालय संगठन” - ₹2886.00 लाख;
- (ii) “नवोदय विद्यालय समिति” - ₹8316.00 लाख;
- (iii) “राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान” - ₹12979.00 लाख;
- (iv) “उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी स्कीम” - ₹7200.00 लाख;
- (ग) “माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय” -
- (i) “राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम” - ₹346.50 लाख;
- (ii) “माध्यमिक विद्यालयों में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा” - ₹693.00 लाख;
- (iii) “माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम” - ₹1732.25 लाख (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (घ) “माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान - शिक्षा का व्यवसायीकरण” - ₹150.00 लाख;
- (ङ) “माध्यमिक शिक्षा - छात्रवृत्तियां - राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम” - ₹415.80 लाख;
- (a) “Secondary Education - Research and Training - Information and Communication Technologies in Schools” - ₹3465.00 lakhs;
- (b) “Secondary Education – Assistance to Non-Government Secondary Schools” -
- (i) “Kendriya Vidyalaya Sangathan” – ₹ 2886.00 lakhs;
- (ii) “Navodaya Vidyalayas Samiti” – ₹ 8316.00 lakhs;
- (iii) “Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)” - ₹12979.00 lakhs;
- (iv) “Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence” - ₹7200.00 lakhs;
- (c) “Secondary Education – Other Expenditure” –
- (i) “National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)” – ₹ 346.50 lakhs;
- (ii) “Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS)” – ₹693.00 lakhs;
- (iii) “Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for students of Secondary and Higher Secondary Schools” - ₹1732.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh);
- (d) “Secondary Education - Other Grants-Vocationalisation of Education” - ₹150.00 lakhs;
- (e) “Secondary Education - Scholarships - National Means cum Merit Scholarship Scheme” - ₹415.80 lakhs;

- (च) “प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण” - ₹3465.00 लाख;
- (छ) “प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय” -
- (i) “राष्ट्रीय बाल भवन/राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन समिति” - ₹140.00 लाख;
- (ii) “विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम” - ₹71933.40 लाख;
- (iii) “सर्व शिक्षा अभियान” - ₹132467.20 लाख (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (iv) “मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम” - ₹1050.00 लाख;
- (v) “अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास के लिए स्कीम” - ₹346.60 लाख;
- (ज) “प्रौढ शिक्षा - अन्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम” -
- (i) “प्रौढ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम” - ₹3397.00 लाख;
- (ii) “प्रौढ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता” - ₹693.00 लाख;
- (झ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” -
- (i) “माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण” - ₹1000.00 लाख;
- (ii) “माध्यमिक शिक्षा - गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता” - ₹7200.00 लाख;
- (f) “Elementary Education – Teachers Training - Strengthening of Teachers Training Institutions” – ₹3465.00 lakhs;
- (g) “Elementary Education – Other Expenditure”-
- (i) “National Bal Bhawan/National Children’s Museum Bal Bhawan Society” – ₹140.00 lakhs;
- (ii) “National Programme of Mid Day Meals in Schools” – ₹71933.40 lakhs;
- (iii) “Sarva Shiksha Abhiyan” – ₹132467.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh);
- (iv) “The Scheme for Providing Quality Education in Madrassass (SPQEM)”- ₹1050.00 lakhs;
- (v) “The Scheme for Infrastructure Development in Minority Institutions (IDMI)” - ₹346.60 lakhs;
- (h) “Adult Education - Other Adult Education Programme” -
- (i) “Adult Education and Skill Development Scheme” - ₹3397.00 lakhs;
- (ii) “Support to NGOs/ Institutions/ SRCs for Adult Education and Skill Development Scheme” - ₹693.00 lakhs;
- (i) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (i) “Secondary Education - Research and Training” - ₹1000.00 lakhs;
- (ii) “Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools” - ₹7200.00 lakhs;

- |  |  |
|--|--|
| (iii) “माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय” - ₹810.00 लाख;   | (iii) “Secondary Education - Other Expenditure” - ₹810.00 lakhs;   |
| (iv) “माध्यमिक शिक्षा - छात्रवृत्तियाँ” - ₹120.00 लाख;   | (iv) “Secondary Education - Scholarships” - ₹120.00 lakhs;   |
| (v) “प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण” - ₹1000.00 लाख;  | (v) “Elementary Education - Teachers Training” - ₹1000.00 lakhs;   |
| (vi) “प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय” - ₹59390.00 लाख;   | (vi) “Elementary Education - Other Expenditure” - ₹59390.00 lakhs;   |
| (vii) “प्रौढ़शिक्षा - अन्य प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम” - ₹1181.00 लाख;   | (vii) “Adult Education - Other Adult Education Programme” - ₹1181.00 lakhs;  |
| (ज) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” -   | (j) “Tribal Area Sub-Plan” -   |
| (i) “माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण” - ₹735.00 लाख;   | (i) “Secondary Education - Research and Training” - ₹735.00 lakhs;   |
| (ii) “माध्यमिक शिक्षा - गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता” - ₹13398.00 लाख;   | (ii) “Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools” - ₹13398.00 lakhs;   |
| (iii) “माध्यमिक शिक्षा - अन्य राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम” - ₹434.85 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); | (iii) “Secondary Education - Other National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)” - ₹434.85 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); |
| (iv) “प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण” - ₹535.00 लाख;  | (iv) “Elementary Education - Teachers Training” - ₹535.00 lakhs;   |
| (v) “प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय” - ₹31763.30 लाख (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और  | (v) “Elementary Education - Other Expenditure” - ₹31763.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh); and  |
| (vi) “प्रौढ़शिक्षा - अन्य प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम” - ₹634.00 लाख ।  | (vi) “Adult Education - Other Adult Education Programme” - ₹634.00 lakhs.  |

उपर्युक्त इकतीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

Provisions under the above thirty one heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - प्रारंभिक शिक्षा - अन्य अनुदान” - ₹3450.00 लाख; और

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - प्रारंभिक शिक्षा - अन्य अनुदान” - ₹1861.60 लाख ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम के प्रमुख रूप से अल्पसंख्यकों के लिए होने और एससीएसपी/टीएसपी के अंतर्गत कोई द्विविभाजन न होने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(II) मुख्य शीर्ष “2202” - “प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - राष्ट्रीय बाल भवन/राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन समिति” के अंतर्गत ₹1475.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹20.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1495.00 लाख कर दिया गया था । तथापि, ₹671.72 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई ।

(III) मुख्य शीर्ष “2202” - “माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्” के अंतर्गत ₹16182.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5305.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹21487.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण ₹271.15 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ।

(IV) मुख्य शीर्ष “2202” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई:-

(का) “प्रारंभिक शिक्षा”-

(क) “सर्व शिक्षा अभियान - स्थापना और संबंधित व्यय” - ₹511.74 लाख की बचत (₹2891.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन के प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) “विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम” -

(C) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(a) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Elementary Education - Other Grants” - ₹3450.00 lakhs; and

(b) “Tribal Area Sub-Plan - Elementary Education - Other Grants” - ₹1861.60 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to scheme being primarily for minorities and there is no bifurcation under SCSP/TSP.

(II) Under Major Head “2202” - “Elementary Education - Other Expenditure - National Bal Bhawan, National Children’s Museum Bal Bhawan Society”- the original provision of ₹1475.00 lakhs was augmented to ₹1495.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹20.00 lakhs. However, there was a saving of ₹671.72 lakhs (including supplementary grant) - due to availability of unspent balance of previous years.

(III) Under Major Head “2202” - “Secondary Education - Research and Training - National Council of Educational Research and Training” - the original provision of ₹16182.00 lakhs was augmented to ₹21487.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5305.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹271.15 lakhs - due to receipt of less number of viable proposals from NCERT.

(IV) Under Major Head “2202” - savings also occurred under the following heads:-

(A) “Elementary Education -

(a) “Sarva Shiksha Abhiyan - Establishment and Related Expenditure”- saving of ₹511.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2891.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals towards advertising and economy measures.

(b) “National Programme of Mid Day Meals in Schools” -

- (i) “बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता”- ₹813.16 लाख की बचत (₹1316.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ii) “राष्ट्रीय घटक”- ₹443.22 लाख की बचत (₹1315.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिक सेवाओं तथा विज्ञापन और प्रचार के प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-
- (i) “विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम”- ₹197.14 लाख की बचत (₹480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ii) “राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन समिति”- ₹200.00 लाख की बचत (₹280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (घ) “आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण - प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधियां”- ₹17233.00 लाख की बचत (₹1850633.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिक्षा उपकर का कम संग्रहण होने के कारण हुई।
- (खा) “माध्यमिक शिक्षा” -
- (क) “गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय -शिक्षा संस्थान” - ₹297.00 लाख की बचत (₹1039.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-
- (i) “Assistance to Union Territories without Legislature” – saving of ₹813.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1316.00 lakhs ) was due to receipt of less number of viable proposals from Union Territories without Legislature.
- (ii) “National Component” – saving of ₹ 443.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1315.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals towards professional services and advertising and publicity and economy measures.
- (c) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (i) “National Programme of Mid Day Meals in Schools” - saving of ₹197.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹480.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals.
- (ii) “National Bal Bhawan, National Children’s Museum Bal Bhawan Society” - saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹280.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.
- (d) “Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh” - saving of ₹17233.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1850633.00 lakhs) was due to less collection of education cess.
- (B) “Secondary Education”-
- (a) “Assistance to Non-Government Secondary Schools - National Institute of Open Schooling” - saving of ₹297.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1039.00 lakhs); and
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

- (i) “राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय-शिक्षा संस्थान” - ₹230.00 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

- (ii) “उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी स्कीम”- ₹1166.00 लाख की बचत (₹22800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकारी अभिकरणों से आवर्ती अनुदानों के व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय-शिक्षा संस्थान” - ₹123.00 लाख की बचत (₹161.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(घ) “अन्य व्यय” -

- (i) “विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान” - ₹592.04 लाख की बचत (₹864.04 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों (राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान) से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

- (ii) “विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान” - ₹130.72 लाख की बचत (₹138.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

- (iii) “शिक्षा का व्यवसायीकरण”- ₹210.56 लाख की बचत (₹210.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित स्कीम के अंतर्गत कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

- (i) “National Institute of Open Schooling” - saving of ₹230.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year.

- (ii) “Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence” - saving of ₹1166.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22800.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals of recurring grants from the implementing agencies.

- (c) “Tribal Area Sub-Plan - National Institute of Open Schooling” - saving of ₹123.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹161.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(d) “Other Expenditure”-

- (i) “Information and Communication Technology in Schools - Grants to Voluntary Organisations” – saving of ₹592.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹864.04 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from Voluntary Organisations (State Institute of Educational Technology and Central Institute of Educational Technology).

- (ii) “Information and Communication Technology in Schools - Grants to Union Territories without Legislature” – saving of ₹130.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹138.60 lakhs) was due to receipt of less reimbursement claims from Union Territory Administration.

- (iii) “Vocationalisation of Education” - saving of ₹210.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹210.70 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals under revised scheme.

- (iv) “विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, बैठकों आदि गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर व्यय” - ₹145.31 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैठकों और कार्यशालाओं को कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।
- (v) “विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - ई-घटक के विकास के लिए अनुदान” - ₹2244.75 लाख की बचत ( ₹2252.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “प्रौढ़शिक्षा - अन्य व्यय - संगोष्ठियों, समितियों, बैठकों आदि/गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर व्यय” - ₹130.91 लाख की बचत (₹146.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैठकों तथा संगोष्ठियों को कम संख्या में आयोजित किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “सामान्य - अन्य व्यय - शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार” - ₹112.12 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिक्षकों के भोजन और आवास व्यवस्था प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (V) मुख्य शीर्ष “3601” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
- (का) “प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण” - ₹4885.65 लाख की बचत (₹29679.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के पुनरीक्षण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-
- (क) “माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान” - ₹5348.37 लाख की बचत (₹6587.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (iv) “ICT in schools- Expenditure on Seminars, Conferences, Workshop, Meeting etc., TA/DA to Non-Official Members” - saving of ₹145.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to holding of less number of meetings and workshops.
- (v) “Information and Communication Technology in Schools - Grants for development of e-content” -saving of ₹2244.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2252.60 lakhs) was due to non-implementation of the scheme.
- (C) “Adult Education – Other Expenditure - Expenditure on Seminars Committees, Meeting etc./ TA/DA to Non-Official Members” - saving of ₹130.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹146.00 lakhs) was due to holding of less meetings and seminars and economy measures.
- (D) “General - Other Expenditure – National Awards to Teachers” - saving of ₹112.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards boarding and lodging charges of teachers.
- (V) Under Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” - savings occurred under the following heads:-
- (A) “Elementary Education – Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions” – saving of ₹4885.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29679.00 lakhs) was due to non-finalisation of revision of the scheme.
- (B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (a) “Secondary Education - Other Grants”- saving of ₹5348.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6587.20 lakhs); and

(ख) “प्रारंभिक शिक्षा - विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम” - ₹7590.56 लाख की बचत (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹184480.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ग) “प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण” - ₹1907.28 लाख की बचत (₹8590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के पुनरीक्षण को अंतिम रूप न दिए जाने और राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” -

(क) “माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान” - ₹794.91 लाख की बचत (₹3518.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ख) “प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण” - ₹1025.68 लाख की बचत (₹4601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के पुनरीक्षण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) “प्रारंभिक शिक्षा - विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता” - ₹277.00 लाख की बचत (₹6514.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” -

(b) “Elementary Education – National Programme for Mid Day Meals in Schools” – saving of ₹7590.56 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹184480.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh).

Savings under the above two heads were due to receipt of less number of proposals from State Governments.

(c) “Elementary Education – Teachers Training” – saving of ₹1907.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8590.00 lakhs) was due to non-finalisation of revision of the scheme and receipt of less number of proposals from State Governments.

(C) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Secondary Education - Other Grants” - saving of ₹794.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3518.75 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from State Governments.

(b) “Elementary Education – Teachers Training” – saving of ₹1025.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4601.00 lakhs) was due to non-finalisation of revision of the scheme.

(VI) Under Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Elementary Education - National Programme of Mid Day Meals in Schools - Assistance to Union Territory Governments” – saving of ₹277.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6514.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

- (क) “प्रारंभिक शिक्षा- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम”- ₹941.44 लाख की बचत (₹1880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) “प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण”- ₹250.96 लाख की बचत (₹410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने और स्कीम के पुनरीक्षण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना”-
- (क) “प्रारंभिक शिक्षा - विद्यालय में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम”- ₹983.38 लाख की बचत (₹1006.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) “प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण”- ₹210.16 लाख की बचत (₹214.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने और स्कीम के पुनरीक्षण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (VII) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹456.83 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थी।
- 2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹302726.83 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹7006.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-
- (का) मुख्य शीर्ष “2202” -
- (क) “प्रारम्भिक शिक्षा” -
- (i) “सर्व शिक्षा अभियान - सामान्य घटक” - ₹145118.31 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹145111.93 लाख था।
- (a) “Elementary Education - National Programme of Mid Day Meals in Schools” – saving of ₹941.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1880.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from Union Territory Administration.
- (b) “Elementary Education – Teachers Training” – saving of ₹250.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹410.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from Union Territories and non-finalisation of revision of the scheme.
- (C) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (a) “Elementary Education - National Programme of Mid Day Meals in Schools” – saving of ₹983.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1006.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from Union Territories.
- (b) “Elementary Education – Teachers Training” – saving of ₹210.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹214.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from Union Territories and non-finalisation of revision of the scheme.
- (VII) Under six heads savings of ₹456.83 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 14 percent to 99 percent of the total sanctioned provision.
- 2.(I) The above savings were partly (₹302726.83 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹7006.00 lakhs under the following major heads:-
- (A) Major Head “2202”-
- (a) “Elementary Education” -
- (i) “Sarva Shiksha Abhiyan - General Component”- ₹145118.31 lakhs. Actual excess, however, was ₹145111.93 lakhs.

- (ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - सर्व शिक्षा अभियान” - ₹12890.11 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹10277.96 लाख था।
- (iii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - सर्व शिक्षा अभियान”- ₹20425.35 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹20425.11 लाख था।
- (ख) “माध्यमिक शिक्षा” -
- (i) “गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान” - ₹16443.39 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹16443.19 लाख था।
- (ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-
- (1) “राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान”- ₹5948.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5947.80 लाख था।
- (2) “राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम”- ₹5969.22 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5968.57 लाख था।
- (iii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना”-
- (1) “राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान”- ₹9737.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹9736.80 लाख था।
- (2) “राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम”- ₹3835.31 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3834.66 लाख था।
- (iv) “अन्य व्यय - राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम”- ₹2014.29 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2014.14 लाख था।
- (ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Sarva Shiksha Abhiyan” - ₹12890.11 lakhs. Actual excess, however, was ₹10277.96 lakhs.
- (iii) “Tribal Area Sub-Plan - Sarva Shiksha Abhiyan” - ₹20425.35 lakhs. Actual excess, however, was ₹20425.11 lakhs.
- (b) “Secondary Education”-
- (i) “Assistance to Non-Government Secondary Schools - Rashtriya Madyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)”- ₹16443.39 lakhs. Actual excess, however, was ₹16443.19 lakhs.
- (ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-
- (1) “Rashtriya Madyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)”- ₹5948.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5947.80 lakhs.
- (2) “National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)” - ₹5969.22 lakhs. Actual excess, however, was ₹5968.57 lakhs.
- (iii) “Tribal Area Sub-Plan”-
- (1) “Rashtriya Madyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)”- ₹9737.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9736.80 lakhs.
- (2) “National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)” - ₹3835.31 lakhs. Actual excess, however, was ₹3834.66 lakhs.
- (iv) “Other Expenditure - National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)” - ₹2014.29 lakhs. Actual excess, however, was ₹2014.14 lakhs.

(ग) “प्रौढ़ शिक्षा”-	(c) “Adult Education” -
(i) “अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम”- ₹2164.89 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1905.91 लाख था।	(i) “Other Adult Education Programmes - Adult Education and Skill Development Scheme” - ₹2164.89 lakhs. Actual excess, however, was ₹1905.91 lakhs.
(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम”- ₹626.59 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹626.54 लाख था।	(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Adult Education and Skill Development Scheme” - ₹626.59 lakhs. Actual excess, however, was ₹626.54 lakhs.
(iii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम”-₹334.83 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹334.77 लाख था।	(iii) “Tribal Area Sub-Plan - Adult Education and Skill Development Scheme” - ₹334.83 lakhs. Actual excess, however, was ₹334.77 lakhs.
(घ) “सामान्य”-	(d) “General” -
(i) “छात्रवृत्तियां- राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम”- ₹786.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹823.59 लाख था।	(i) “Scholarships - National Means cum Merit Scholarship Scheme” - ₹786.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹823.59 lakhs.
(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम”- ₹150.10 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹125.59 लाख था।	(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Means cum Merit Scholarship Scheme” - ₹150.10 lakhs. Actual excess, however, was ₹125.59 lakhs.
(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -	(B) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -
(क) “प्रारंभिक शिक्षा - अन्य अनुदान” -	(a) “Elementary Education - Other Grants”-
(i) “मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम” - ₹5134.41 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5134.26 लाख था।	(i) “The scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)”- ₹5134.41 lakhs. Actual excess, however, was ₹5134.26 lakhs.
(ii) “अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए स्कीम” - ₹1727.20 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1727.05 लाख था।	(ii) “The scheme for Infrastructure Development in Minority Institutions (IDMI)”- ₹1727.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹1727.05 lakhs.

- (ख) “माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान” -
- (i) “माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम”- ₹1970.57 लाख।
- (ii) “भाषा शिक्षकों की नियुक्ति ” - ₹1312.65 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1312.55 लाख था।
- (ग) “प्रारंभिक शिक्षा - विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - राज्यों को सहायता” - ₹58110.60 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹58110.29 लाख था।
- (घ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - प्रारंभिक शिक्षा - विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम”- ₹8028.01 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8027.86 लाख था।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई :-
- (का) मुख्य शीर्ष “2202”-
- (क) “माध्यमिक शिक्षा”-
- (i) “गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता”-
- (1) “केन्द्रीय विद्यालय संगठन”- ₹2886.00 लाख का अधिक व्यय (₹209869.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) “नवोदय विद्यालय समिति”- ₹8316.00 लाख का अधिक व्यय (₹1310.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹117034.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (b) “Secondary Education - Other Grants”-
- (i) “Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools”- ₹1970.57 lakhs.
- (ii) “Appointment of Language Teachers”- ₹1312.65 lakhs. Actual excess, however, was ₹1312.55 lakhs.
- (c) “Elementary Education – National Programme of Mid Day Meals in Schools- Assistance to States”- ₹58110.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹58110.29 lakhs.
- (d) “Tribal Area Sub-Plan - Elementary Education – National Programme of Mid Day Meals in Schools”- ₹8028.01 lakhs. Actual excess, however, was ₹8027.86 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (A) Major Head “2202” -
- (a) “Secondary Education” -
- (i) “Assistance to Non-Government Secondary Schools” -
- (1) “Kendriya Vidyalaya Sangathan” - excess of ₹2886.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹209869.00 lakhs);
- (2) “Navodaya Vidyalayas Samiti” - excess of ₹8316.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹117034.00 lakhs including supplementary grant of ₹1310.00 lakhs);

- (3) “उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी स्कीम”- ₹336.00 लाख का अधिक व्यय (₹75958.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (3) “Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence” - excess of ₹336.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75958.00 lakhs);
- (i) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-
- (i) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-
- (1) “केन्द्रीय विद्यालय संगठन”- ₹400.00 लाख का अधिक व्यय (₹6600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (1) “Kendriya Vidyalaya Sangathan” - excess of ₹400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6600.00 lakhs);
- (2) “नवोदय विद्यालय समिति”- ₹2400.00 लाख का अधिक व्यय (₹21600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) “Navodaya Vidyalayas Samiti” - excess of ₹2400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21600.00 lakhs);
- (ii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजनाएं”-
- (ii) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (1) “राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्”- ₹200.00 लाख का अधिक व्यय (₹68.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (1) “National Council of Educational Research and Training” - excess of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹68.00 lakhs);
- (2) “केन्द्रीय विद्यालय संगठन”- ₹214.00 लाख का अधिक व्यय (₹3531.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) “Kendriya Vidyalaya Sangathan” - excess of ₹214.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3531.00 lakhs);
- (3) “नवोदय विद्यालय समिति”- ₹1284.00 लाख का अधिक व्यय (₹11556.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (3) “Navodaya Vidyalayas Samiti” - excess of ₹1284.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11556.00 lakhs);
- (4) “उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी स्कीम”- ₹1671.00 लाख का अधिक व्यय (₹9240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (4) “Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence” - excess of ₹1671.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9240.00 lakhs);
- (ख) “प्रौढ़ शिक्षा”-
- (b) “Adult Education” -
- (i) “अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/
- (i) “Other Adult Education Programmes - Support to NGOs/Institutions/ SRCs for

एसआरसी को सहायता”- ₹425.24 लाख का अधिक व्यय (₹6237.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

Adult Education and Skill Development Schemes” - excess of ₹425.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6237.00 lakhs);

(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - प्रौढ़शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता” - ₹116.04 लाख का अधिक व्यय (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Support to NGOs/ Institutions/ SRCs for Adult Education and Skill Development Scheme” - excess of ₹116.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs); and

(खा) मुख्य शीर्ष “3601”- “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-

(B) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes”-

(क) “माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण - विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां”- ₹6252.59 लाख का अधिक व्यय (₹27433.26 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(a) “Secondary Education - Research and Training - Information and Communication Technologies in School” - excess of ₹6252.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27433.26 lakhs).

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above twelve heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) “माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान”-

(b) “Secondary Education - Other Grants”-

(i) “शिक्षा का व्यवसायीकरण”- ₹171.91 लाख का अधिक व्यय (₹1209.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन किए जाने के कारण हुआ।

(i) “Vocationalisation of Education” - excess of ₹171.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1209.70 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and implementation of pilot project in the States of Haryana and West Bengal.

(ii) “माध्यमिक विद्यालय में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा”- ₹1047.00 लाख का अधिक व्यय (₹5739.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों

(ii) “Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS)”- excess of ₹1047.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5739.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization

से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of viable proposals from State Governments.

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण” - ₹1764.99 लाख का अधिक व्यय (₹7921.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Secondary Education - Research and Training” - excess of ₹1764.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7921.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards establishment of Government and Government aided schools and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण” - ₹1006.46 लाख का अधिक व्यय (₹4250.74 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(d) “Tribal Area Sub-Plan - Secondary Education - Research and Training” - excess of ₹1006.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4250.74 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹89.46 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹89.46 lakhs occurred constituting 26 percent of the sanctioned provision.

### 3. प्रारंभिक शिक्षा कोष:-

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर 2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

### 3. Prarambhik Shiksha Kosh:-

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalisation of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तत्कालीन प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया।

A non-lapsable funds called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय “सर्व शिक्षा अभियान” और “मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीम” पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में अन्य बजटीय संसाधनों से

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes “Sarva Shiksha Abhiyan’ and “Mid-Day Meal Scheme”. Expenditure incurred on

वहन किया जाएगा। इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्तपोषण अन्य बजटीय संसाधनों के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा।

शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में नव गठित प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2011-12 में ₹18506.33 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2011-12 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी।

these schemes, in any financial year, shall initially be incurred from Other Budgetary Resources (OBR). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after OBR is exhausted.

A provision of ₹18506.33 crores was made in the Union Budget 2011-2012 for initial transfer to the newly created Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2011-2012 for amount to be recouped from Prarambhik Shiksha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

वर्ष 2011-12 से संबंधित निधि का लेखा इस प्रकार था :-

*The Account of the Fund for the year 2011-12 was as follows:-*

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening balance	36,82,13
प्राप्तियां	Receipts	18334,00,00
अदायगियां	Payments	18006,27,50
अंतशेष	Closing balance	364,54,63